न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 154/2022

1. जयमलराम पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल साकिन 5 एच एल एम जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. प्यारेलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धानक साकिन मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- **प्रार्थीगण**

बनाम

तहसीलदार साहब राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

-- **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता -- **प्रार्थीगण**
2. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा -- **अप्रार्थी**

-:: निर्णय ::-

दिनांक :– 27.09.2022

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 की तहसील पीलीबंगा चक 5 पी बी एन की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई के खाता सं. 28/63 के पन. 53/323 (4) कि.न. 1/7/0.1780, 1/8/0.050, 2 ता 5 की कुल 1.2400 हैक. में से 1. 190 हैक. औद्योगिक प्रयोजनार्थ व 0.050 हैक. अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र की गई है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित रकबा प्रार्थी सं. 2 की तहसील पीलीबंगा के चक 5 पी बी एन की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई के खाता सं. 47/45 के पन 53/323 (4) कि.न. 6 ता 10/10 की कुल 1.240 हैक. भूमि में से 1.119 हैक. औद्योगिक व 0.075 रास्ता, 0.046 हैक. अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र की गई है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 चक 5 पी बी एन के खाता से. 28/63 के प.न. 53/323 (4) कि.न. 28/63 के प.नं. 53/323 (4) कि.न. 1/7/0. 1780, 1/8/0.050, 2 ता 5 की कुल 1.2400 हैक. में से 1.190 हैक—औद्योगिक प्रयोजनार्थ व प्रार्थी सं. 2 चक 5 पी बी एन की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई के खाता स. 47/45 के प.न.53/323 (4) कि.न. 6, ता 10/10 की कुल 1.240 हैक. भूमि में से 1.119 हैक.औद्योगिक प्रयोजनार्थ

27.09.2022

में रूपान्तरण करवा ली है व किला न. 1/8/0.050 व 10/9/0.046 अनकमाण्ड जिसे प्रार्थीगण रास्ता में स्वीकृत करवाना चाहते हैं।

प्रार्थीगण अपनी भूमि प्रार्थी सं. 1 के चक 5 पी बी एन के खाता स. 26/63 के प.न. 53/323(4) कि.न. 1/8/0.050 हैक. प्रार्थी सं. 2 के चक 5 पी बी एन के खाता सं. 26/63 के प.न. 53/323(4) कि.न. 10/9/0.046 हैक. उक्त किले 1/8/0.05 व 10/9/0.046 हैक. उत्तर से दक्षिण लम्बा व पश्चिम दिशा बिना किसी प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को आदेशित किया जावें व राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत शुदा रास्ता का अंकन किया जावे।

राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। राजपैरोकार के अनुसार उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने से स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक राजपैरोकार जवाब स्टेट व धारा 251(क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण प्रार्थी की भूमि प्रार्थी सं.1 के नाम भूमि चक 5 पी बी एन के खाता 26/63 के प.न. 53/323 के किला न. 1/8/0.050 व प्रार्थी सं. 2 चक 5 पी बी एन के खाता सं. 47/45 के प.न. 53/323 के किला न. 10/9/0.046 उतर से दक्षिण लम्बा पश्चिम दिशा में किसी प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा द्वारा रास्ते की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.09.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा